

 आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.	<p style="text-align: center;">आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) (भारत सरकार का उद्यम)</p> पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 कार्यालय: आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर, प्लॉट नंबर आई-4, इफको चौक के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 011-4102 0101 फैक्स 011-2436 0644 वेबसाइट www.recindia.com [सीआईएन: L40101DL1969GOI005095]	 एक कदम स्वच्छता की ओर
--	---	--

सं. एलपीसी सं.007/2023-24

दिनांक: 12.10.2023

ऋण नीति परिपत्र संख्या 007/2023-24

विषय: आरईसी लिमिटेड के एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर -निजी श्रेणी के लिए उधार दरें

सक्षम प्राधिकारी ने एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर-निजी श्रेणी के लिए ब्याज दरों को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार है:-

योजना/उत्पाद उधारकर्ता	निजी क्षेत्र का उधारकर्ता (एक वर्ष के रीसेट के साथ मासिक रेस्ट)		
	आईआर -1	आईआर -2	आईआर -3
एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (एएमआईएसपी)- (निजी) (डायरेक्ट डेबिट सुविधा के साथ)	9.50%	9.75%	10%

- निजी क्षेत्र-ग्रेड आईआर-4 और आईआर-5 उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें ग्रेड आईआर-3 पर लागू ब्याज दरों की तुलना में क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस अधिक होंगी।
- अन्य नियम और शर्तें आरईसी द्वारा दिनांक 20.09.2023 को जारी ऋण नीति परिपत्र के अनुरूप होंगी।

उपरोक्त दर 09 अक्टूबर 2023 से अगली अधिसूचना तक लागू रहेगी।

मंजूरी पत्र जारी करने वाली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय में वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक /मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लागू ब्याज दरें और अन्य नियम और शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत सूचित की जाएं और मंजूरी पत्र में सही ढंग से शामिल की जाएं।

शुचि गोयल
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

वितरण:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) कार्यालय
2. कार्यपालक निदेशक (एसओपी)/कार्यपालक निदेशक (पीएसपीएम)/कार्यपालक निदेशक (टीएंडडी और उत्पादन)
3. विभागाध्यक्ष (ऋण एवं वसूली)
4. क्षेत्रीय कार्यालयों/पीओ और राज्य कार्यालयों में सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक।
5. विभागाध्यक्ष (आईटी) - आरईसी वेबसाइट और इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था के लिए।
6. विभागाध्यक्ष (राजभाषा) - हिंदी में अनुवाद के लिए।